

**मुख्य उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, छवड़ा जिला बारा (राज.)**

अप्रार्थना पत्र सं.	घारा अंतर्गत	ग्राम	तहसील
66/20	89, 183, 188 RTA	उन्नावर	छवड़ा
वादी	वाद शीर्षक	प्रतिवादी	
रामकिशन	बनाम	यासीलाल कोठ	

वकील :- शमेश ओरी एडवो. **आदेश पत्रक** वकील :-

दिनांक **कार्यवाही एवं आदेश** विविध संदर्भ

8 12/20

आमि मापक प्राप्ति द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत घारा 89, 183, 188 RTA विरुद्ध अप्रार्थी गणों के इस आशय में पेश किया गया, रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे तथा अप्रार्थी गणों को जरिये सम्मन तलब कर प्रभावली दिनांक 11.01.21 को पेश हो।

11/21

आमि मापक प्राप्ति अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 1.5.21 को पेश हो।

*(Signature)*  
न्यायालय सहायक अधिकारी  
छवड़ा (बारा)

15/21

आमि मापक प्राप्ति अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 1-3-21 को पेश हो।

*(Signature)*  
न्यायालय सहायक अधिकारी  
छवड़ा (बारा)

प्रतिवादी  
यासीलाल कोठ  
सम्मन प्राप्त

21/31

पत्रावली पेश हुई। वकील गणों उपस्थित। प्रतिवादी गण के वाद तामील सम्मन प्राप्त। कोवजूद सूचना के अनुपस्थित। प्रतिवादी क्रम 1 व 2 के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही की जाती है। वास्तव सीधे सीधी पत्रावली दिनांक 21/31 को पेश हो। पुनः-दौलतराम कोठी एडवो. द्वारा अपुष्टेदिनांक पेश। पत्रावली पेश करे।

